

बिहार, सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

संचिका संख्या-रान्यास 'घ'-01/2006/ 174 पटना, दिनांक 23-7-13

कार्यालय आदेश

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, अन्तर्गत रान्यास के 70वें सत्र का कार्य 31 दिसम्बर 2013 तक समाप्त किया जाना है। इसलिए रान्यास के 70वें सत्र के कार्य में संलग्न निम्नलिखित पूर्व प्रशिक्षित अन्वेषकों से सर्वेक्षण कार्य कराने का निर्णय लिया गया है। इन्हें पारिश्रमिक **Piece Rate Basis** पर देय होगा। पूर्व प्रशिक्षित अन्वेषकों की सूची निम्न है:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम	पदस्थापन स्थान
1	श्री प्रेमचन्द्र पंकज	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, गया।
2	श्री रितेश कुमार सिंह	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुंगेर।
3	श्री अमरेश कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, नालंदा।
4	श्री प्रमोद कुमार साह	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णिया।
5	श्री निरंजन कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, पूर्णिया।
6	श्री हरेराम कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, कटिहार।
7	श्री जितेन्द्र कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, कटिहार।
8	श्री शत्रुधन कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भागलपुर।
9	श्री कृष्ण कुमार	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर।
10	श्री कुतुबदीन अंसारी	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर।
11	श्री सच्चिदानंदन प्रसाद	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
12	श्री राशिद अशरफ	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर।
13	श्री पशुपति कुमार सिंह	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मोतिहारी।
14	श्री ब्रजकिशोर राय	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, मोतिहारी।
15	श्री आनन्द कुमार सिंह	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण।
16	श्री मुकेश कुमार सिंह	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सिवान।
17	श्री धर्मेन्द्र कुमार झा	अन्वेषक	जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीतामढ़ी।
18	श्री निशित कुमार	अन्वेषक	मुख्यालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।

2. सर्वेक्षण कार्य हेतु अन्वेषकों को मो० 7500/- (सात हजार पाँच सौ) रूपये प्रति प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्य समाप्ति उपरांत भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ता या सुविधा देय नहीं होगा।

3. सर्वेक्षण कार्य में संलग्न अन्वेषकों द्वारा गलत कार्य करने पर निदेशालय द्वारा सर्वेक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

4. इस सर्वेक्षण कार्य के आधार पर अन्य कोई सुविधा अनुमान्य नहीं होगा।

5. इस सर्वेक्षण कार्य के आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्य कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।

6. इस प्रस्ताव पर प्रधान सचिव की स्वीकृति प्राप्त है।

ह०/-

संयुक्त निदेशक

-सह-

कार्यालय प्रधान।

ज्ञापांक सं० सं० रा०न्यास-घ-01/2006

/पटना, दिनांक

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/गया/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/कटिहार/भागलपुर/भोजपुर/मुजफ्फरपुर/मोतीहारी/सारण/सिवान/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त निदेशक

-सह-

कार्यालय प्रधान।

ज्ञापांक सं० सं० रा०न्यास-घ-01/2006/1428/पटना, दिनांक 23.7.13

प्रतिलिपि:-

प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक -सह- कार्यालय प्रधान के कोषांग/संयुक्त निदेशक(रा०न्यास)/ उप निदेशक (स्थापना)/ सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/ आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना /सभी संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1 एवं 2 /बजट सहायक/ सभी संबंधित कार्मिक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त निदेशक

-सह-

कार्यालय प्रधान।